ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-1*February- 2018
Innovation The Research Concept

दलित चेतना में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान

नागरत्ना गनवीर
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शास. शिवनाथ विज्ञान
महाविद्यालय,
राजनाँदगांव, छ.ग.

बी. एन. जागृत
सहायक प्राध्यापक,
हिन्दी विभाग,
शास. दिग्विजय स्व.
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
राजनाँदगांव, छ.ग.

सारांश

भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को महान ज्ञानवेता, समाज–सुधारक, नारी मुक्तिदाता, मजदूरों का विधाता और संविधान का शिल्पकार कहा गया है। उनका कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नही की जा सकती है। उनका प्रथम लक्ष्य भारतीय समाज में फैली बुराईयां ऊँच–नीच, जात–पात को दूर कर, एक वर्गविहीन, जातिविहीन, शोषणमुक्त, मानसिक गुलामी से मुक्त, स्वच्छ समाज की स्थापना करना था ताकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ अपना संपूर्ण विकास कर सके। उनके दलितोत्थान के कार्यों के कारण भी उन्हे भारत का लिंकन तथा मार्टिन लूथर कहा गया।

मुख्य शब्द : दलित चेतना, समाज–सुधारक

प्रस्तावना

भारत में जाति व्यवस्था एवं जन्मगत भेदभाव से समाज का बहुसंख्यक वर्ग हिंसा, अन्याय, अलगाव तथा अत्याचार का शिकार हो रहा था। सोलहवीं शताब्दी से लगातार उन्नीसवीं शताब्दी तक भारतभूमि पर कई समाज सुधारकों नें जन्म लिया और भारत के उत्थान के लिए कार्य किये। किन्तु डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने जितनी मजबूती और दृढ़ता से सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक सुधार हेतु कार्य किया उतना किसी और विद्वान ने नहीं। उन्होनें भारतीय समाज में व्याप्त समस्त अंधविश्वास, जात–पात, ऊच–नीच की सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेकने का संकल्प लिया और वे सफल रहे।

अमेरिका से एम. ए., पी.एच.डी. तथा लंदन से एल.एल.बी., एम.एस.सी., डी.एल.सी.,बार–एट लॉ और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्रियां प्राप्त की। उनके समय में भारत में नही बल्कि संपूर्ण एशिया महाद्वीप मे उनके मुकाबले कोई भी व्यक्ति इतना उच्च योग्यता प्राप्त नहीं था। उस समय डॉ. अम्बेडकर विश्व के छः महान विद्वानों में से एक थे। लार्ड लिल्लिथगो ने उनको 500 स्नातको की बुद्धि के बराबर बुद्धि मानी।[1]

डॉ. अम्बेडकर जैसे महान विद्वान के साथ भारत में जो छुआछुत, भेदभाव, अपमान किया गया, ऐसा उन्होने ब्रिटेन, अमेरिका में अध्ययन के दौरान कहीं नहीं देखा। उनका अंतःकरण झंझना उठा। अपने समाज के प्रति उनमें संवेदना जाग उठी। उन्होने देखा कि किस तरह भारत में एक मनुष्य, दूसरे मनुष्य को नीच, अछूत समझता है। वह कुत्ते–बिल्ली को छू सकता है, किन्तु मनुष्य को नहीं। दलित मनुष्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तालाब, कूएं का पानी नहीं पी सकता, ये कैसी विडम्बना है? डॉ. आम्बेडकर ने संपूर्ण गरीब, दलितों की स्थिति को अपने आंखो से देखा सहा और भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं इस दानवीय व्यवस्था का विनाश न कर दूं तब तक कभी चैन से नहीं रहूंगा।[2]

"छूआ–छूत एक कृतध्नतापूर्ण, पापपूर्ण, जघन्य अत्याचारपूर्ण, शोषणमय और दुराचारजनक अमानवीय प्रथा है। बहुसंख्यक हिन्दुओं ने इसे भले ही अपना धर्म माना हो, पर इसे फौरन बंद होना चाहिए। अदालतों नेभी ऐसे रीति–रिवाजों को पापपूर्ण दुराचारपूर्ण और राज्य नीति के विरूद्ध मान कर समाप्त करने कहा है।"

— डॅा अम्बेडकर का मासिक, 12 फरवरी 1933

उन्होनें भारत में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के जघन्य अपराध को जड़ से उखाड़ फेकने का संकल्प लिया। उन्होनें दलितों में चेतना पैदा करने का बीड़ा उठाया। उनका नारा था "शिक्षित बनों, संगठित रहो, संघर्ष करो।" वे दलितों को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे एवं बौद्ध धर्म का पालन करवाकर, उन्हे अंदर से मजबूत बनाना चाहते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व पर आधारित था। उन्होनें भगवान बुद्ध का अमर संदेश "अत्त दीप भवः" अर्थात् अपना प्रकाश स्वयं बनों, अपना उद्धार स्वयं करो

का संदेश जन–जन को दिया। वे महिलाओं से कहते– अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, अच्छा खिलाओ, खूब मेहनत करो, संगठित रहो, आत्मविश्वासी बनो, आशावादी बनो तथा प्रचारक बनो। उनका कहना था– "शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जो इसे पी लेता है गरजने लगता है।"

इस महामानव, राष्ट्रभक्त गरीबों के मसीहा करोड़ों दुखियों की आंखों में आशा की किरण फैलाने वाले डॉ. अम्बेडकर ने प्रतिज्ञा की, कि "यदि मैं अपने वर्ग की दयनीय स्थिति में सुधार नहीं कर सका तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा।"[3]

डॉ. अम्बेडकर के दर्शन में मानवता का स्थान देवी–देवताओं से उच्च है। मनुष्य का विकास, अध्ययन का विषय और कर्मभूमि है। वे कहते थे–"यदि मनुष्य आत्मा या ईश्वर में विश्वास न करे तो कोई विशेष बात नही है, लेकिन स्वयं आस्था न रखना ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।" वे कहते "आत्म सम्मान खोकर जीवित रहना बहुत ही अपमान जनक है। आत्म सम्मान के बिना मनुष्य दास के समान है।"[4]

डॉ. अम्बेडकर ने विदेश से भारत लौटने पर बैरिस्टर बनने का निर्णय लिया, ताकि वे अपने वर्ग के बीच रहकर उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर सके। उन्होने अछूत उद्धार के लिए 1921 में एक मराठी पत्रिका 'मूक नायक' प्रारंभ की। उन्होनें दलितों में चेतना पैदा करने के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की– जिसमें 20 जुलाई 1924 को अखिल भारतीय बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दलित जाति शिक्षण समिति, समता संघ, ऑल इंडिया शैड्यूल कास्ट फेडरेशन तथा पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी आदि प्रमुख है।

डॉ. अम्बेडकर की कानूनी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हे संविधान सभा की प्रारूप समिति का सभापति नियुक्त किया गया।[5] डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि उच्च जातियों के संत, महात्मा और समाज सुधारक, दलितों के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, समानता पर बल भी देते है, फिर भी समानता लाने के लिए उनके पास कोई ठोस उपाय नहीं है। उनका विचार था कि दलित ही दलितों को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। उनका मूलमंत्र था "स्वावलंबन और एकता"।

दलितोद्धार के लिए नई दिशा प्रदान करना

1924 ई. में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की पुनः स्थापना की, जिसे 1920 में मूकनायक पत्र के संपादक नन्दराम भटकर ने किया था। इस सभा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे :–

1. दलित वर्गों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।
2. छात्रावासों की स्थापना करना।
3. दलित वर्गों की आर्थिक स्थितियों को औद्योगिक तथा कृषि विद्यालयों की स्थापना द्वारा सुधारना।
4. दलित वर्गों की विभिन्न कठिनाईयों का प्रतिनिधित्व एवं निवारण करना।

इस सभा में अनेक समाज सुधारक संस्थायें भी थी। किन्तु वे सवर्ण प्रभाव में थे। इस सभा के साथ ही आत्म सम्मान का युग प्रारंभ हुआ। इस सभा का नारा था "आत्म सहायता ही सबसे उत्तम सहायता है।"[4] जनवरी 1925 को शोलापुर मे दलित वर्गों के लिए हाई स्कूल, छात्रावास खोले गए। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बॉम्बे लेजिस्लेटिव काऊंसिल का सदस्य मनोनीत किया। जो सम्मान भारत में डॉ. बाबा साहेब को नही मिला, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिया। वे दलितों को संगठित कर उनमें आत्म सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश देते है।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा समानता लाने के लिए आंदोलन

मनुस्मृति का दहन कर पुरातन व्यवस्था पर प्रहार– 25 दिसंबर 1927 को डॉ. अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। इसी समय से मनुस्मृति के भेदभावपूर्ण युग का अंत हुआ और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आधार पर नये समाज की रचना का युग प्रारंभ हुआ। इसकी झलक भारतीय संविधान मे मिलती है।[7]

नासिक के मंदिर में प्रवेश

1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश कर हिन्दुओं के एकाधिकार को समाप्त किया। अक्टूबर 1935 को एक्ट पास हुआ और दलितों के लिए कालाराम मंदिर के दरवाजे खुले।[8] इस आंदोलन ने दलितों को सामूहिक आधार पर कार्य करने की प्रेरणा दी।उन्होने सभी दलित पीड़ित को एक मंच पर एकत्र करने तथा उन्हे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए ऑल इंडिया कास्ट फेडरेशन की स्थापना की।

समता सैनिक दल का गठन

1927 में दलित युवकों का एक स्वैच्छिक संगठन "समता सैनिक दल" का गठन किया, जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानता जनित सभी सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध संघर्ष करना था।

डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसायटी

1928 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा को बंद कर डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की। जो गरीब दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करती थी।

सिद्धार्थ कॉलेज तथा मिलिन्द कॉलेज की स्थापना

दलितों को उच्च शिक्षा देने 1946 में मुम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज और औरंगाबाद मे 1951 में मिलिन्द कॉलेज की स्थापना की।

गोलमेज परिषद् में डॉ. अम्बेडकर का प्रतिनिधित्व

भारत के विभिन्न दलों के नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज परिषद् में भाग लेने आमंत्रित किया था। दलित प्रतिनिधियों के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने भाग लिया । 20 नवंबर 1930 को परिषद् का उद्घाटन हुआ, तब उन्होंने एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें दलित वर्गो की सुरक्षा का विवरण था। डॉ. अम्बेडकर की मांगे निम्नलिखित थी :–

1. अस्पृश्यता को समाप्त कर समान नागरिकता स्थापित की जायें।
2. सभी को समान अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्रता दी जायें।
3. दलित वर्गों के लिए केन्द्रीय व प्रांतीय विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायें।
4. सरकारी सेना में दलितों को पर्याप्त स्थान दिया जाये।
5. जाति प्रथा नष्ट की जायें।

6. दलित वर्गो के बहिष्कार को अपराध माना जायें, इत्यादि।

श्रमिकों एवं कर्मचारी के कल्याण हेतु कार्य

1935 में एक्ट के अनुसार प्रादेशिक, स्वाधीनता स्वीकृत हो चुकी थी। सभी प्रांतो में चुनाव होने वाले थे। डॉ. अम्बेडकर ने दलितों, शोषितों, श्रमिकों की एक पार्टी अगस्त 1936 में "स्वतंत्र मजदूर पार्टी" बनाई।[9]

1. रेल मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से उन्होनें 13 फरवरी 1936 ई. को एक बड़ी कान्फ्रेस को संगठित किया। मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जोड़ते हुए उसका समर्थन किया।[10]
2. 26 नवंबर 1945 को डॉ. अम्बेडकर ने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए मजदूर संहिता बनाने का समर्थन किया।
3. 1939 में उन्होनें इण्डिपेण्डेण्ट लेबर संघ की स्थापना की। 1945 में मजदूरों की सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए बीमा योजना का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा। 1944 में सफाई कर्मचारियों तथा खान श्रमिकों के भी संगठन बनाये।
4. 29 अक्टूबर 1942 को केन्द्र सरकार के समक्ष 56 पृष्ठों का ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित जातियों को जनसंख्या के आधार पर प्रांतीय एवं केन्द्रीय आरक्षण की मांग की।[11] 1946 में लार्ड वेवल ने पूर्व के 8.5 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया एवं आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी।

महिलाओं के लिए किये गये कार्य

1. 1951 में हिन्दू कोड बिल द्वारा महिलाओं को व्यापक आर्थिक व सामाजिक अधिकार संसद मे पेश किया गया।
2. महिला को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा।
3. महिलाओं को पुरूषों के समान बराबरी का दर्जा।
4. महिलाओं को प्रसूति अवकाश।
5. अंतरजातीय विवाह को मान्यता।
6. पुरूषों की संपत्ति पर उत्तराधिकार।
7. 20 वर्ष तक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को पेंशन।
8. काम के घंटे निश्चित, तथा स्वास्थ्य और मनोरंजन सुविधायें।

संविधान में किये गये कार्य

29 अगस्त 1947 को डॉ. अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में समस्त मानव जाति के अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किये। इसके अंतर्गत जाति, लिंग, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा। कानून के समक्ष सभी भारतियों को समानता का अधिकार दिया गया जो गरीब, शोषित, दलितोत्थान में सबसे अधिक सहायक व कारगर बना।

निष्कर्ष

डॉ. अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान समानता, स्वतत्रता और बंधुत्व की लोकतांत्रिक भावना पर आधारित है जिसमें सबका विकास हो, सभी समान रहे किन्तु आजादी के सात दशकों बाद भी हमारी सामाजिक, धार्मिक,रूढ़िवादी, अंधविश्वासी अर्थात विषमतावादी भावनाएं समाप्त नही हो पा रही है।[12] उन्होनें सभी नागरिकों के लिए सम्मान, एकता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर विशेष बल दिया। वे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक लोकतंत्र के पक्षधर थे। राष्ट्रीयता संबंधी उनके विचार केवल गुलाम देशों की मुक्ति तक ही सीमित नही हैं, वरन् वे प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते है उनके अनुसार सामाजिक और आर्थिक समानता के बगैर राजनितिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। उनका सपना था "भारत महान राष्ट्र बने" भारत बौद्धमय राष्ट्र बने। राष्ट्र के संबंध में राष्ट्रीयता का अर्थ है मानव में एकता की दृढ़ भावना और भाईचारा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *रघुवीर सिंह, इक्कीसवीं सदी में अम्बेडकर वाद, मनभावन प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ क्र. – 32*
2. *बाबूलाल चांवरिया, दलित आंदोलन के प्रेरणा प्रतीक, उन्नति विकास शिक्षक संगठन, जोधपुर,पृष्ठ क्र. –82*
3. *डॉ. सुरिन्दरकौर, दलितोत्थान*
4. *डॉ. डी. आर. जाख, डॉ. अम्बेडकर का राजनिति दर्शन, समता साहित्य सदन, जयपुर, पृष्ठ क्र. – 19*
5. *जे.श्यामसुन्दरम्, सी. पी. शर्मा, राजनिति विज्ञान, पृष्ठ क्र. – 445*
6. *डॉ. बीना माथुर, दलित ए वेकिंग इन इंडिया, पृष्ठ क्र. – 159*
7. *डॉ. बीना माथुर, दलित एवेकिंग इन इंडिया, पृष्ठ क्र. – 160*
8. *बाबूलाल चांवरिया, दलित आंदोलन के प्रेरणा प्रतीक, उन्नति विकास शिक्षक संगठन,जोधपुर पृष्ठ क्र. – 84*
9. *डॉ. सीमा वर्मा, दलित एवेकिंग इन इंडिया, कानपुर, पृष्ठ क्र. – 121*
10. *डॉ. बीना ठाकुर, डी. ए. इंडिया, पृष्ठ क्र. – 160*
11. *डॉ. (श्रीमती) बीना ठाकुर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर का दलित चेतना में योगदान,द. अ.हि. प्र.पृष्ठ क्र. – 160*
12. *ऊना, सहारनपुर के मामले*